



क्र. सं. RJ31/2016/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/4992  
दिनांक 21-07-2016

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बारां  
जिला-बारां



\* जाति प्रमाण-पत्र \*

आवेदक का आधार नम्बर : NA

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : NA

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी TANUJA RAWAT पुत्री BAJRANG LAL MEENA गांव/नगर MANGROL ROAD TALAB PADA BARAN जिला/डिवीजन बारां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में मीना (9) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1951, संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1951, संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1958, संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1960, संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1966, संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1970, संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा करा संशोधित संविधान (जनम व कर्मचारी अनुसूचित जाति) अधिनियम 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा करा संशोधित संविधान (अवसामन तथा फिरोजपुर और सवाई अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 1959, संविधान (द्वारा करा चमार हबेली) अनुसूचित जाति) अधिनियम 1962, संविधान (द्वारा करा चमार हबेली) अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 1962, संविधान (संशोधन) अनुसूचित जाति) अधिनियम 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाति (द्वारा करा) अधिनियम 1967, संविधान (संशोधन, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति) अधिनियम 1968, संविधान (संशोधन) अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी TANUJA RAWAT गांव/नगर MANGROL ROAD TALAB PADA BARAN जिला/डिवीजन बारां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं एक 21(37) एन जे ई/कम्यू/ई.पी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र फिरोजपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी, बारां

Digitally signed by  
KAMA RAJ  
Date: 2016.07.21  
02:23:57  
Reason: I SCM  
Location: Rajasthan



1631024510161816